#### 977

## THE REPATRIATION OF PRISONERS RULES, 2004|1

#### **Contents**

1. Short title and commencement

5. Form of warrants

2. Definitions

Form-1

3. Form of application

Form-2

4. Means of forwarding the application

Form-3

### THE REPATRIATION OF PRISONERS RULES, 2004

In exercise of powers conferred by section 14 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Repatriation of Prisoners Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - **2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Act" means the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003);
  - (b) "application" means an application made under section 4 of the Act;
  - (c) "diplomatic channel" means through the missions of the respective countries;
  - (d) "section" means a section of the Act;
  - (e) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.
- 3. Form of application.— An application under section 4 of the Act shall be made by a prisoner for his transfer on a plain paper and in Form I appended to these rules and in accordance with the procedure and instructions set out in that form.
- 4. Means of forwarding the application.— The application of the prisoner along with other information as required under sub-section (1) of section 6, shall be forwarded by the Central Government to the Government of the contracting State either directly or through the diplomatic channel.

### बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) नियम, 2004 बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) नियम, 2004]<sup>1</sup>

#### विषय-सूर्च

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ
 परिभाषायें
 प्रार्थना पत्र का प्ररूप
 प्रार्थना पत्र अग्रेषित करने के साधन
 प्ररूप-3

# बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) नियम, 2004

बंदियों के संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (49 आफ 2003) की धा्रा 14 में प्रदत शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार एतदृद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम बंदियों का संप्रत्यावर्तन नियम, 2004 कहलायेगा।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकशन की तिथी से प्रभावी होंगे।
  - 2. परिभाषायें इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
  - (क) अधिनियम से तात्पर्य है बंदियों का संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (49 आफ 2003),
  - (ख) प्रार्थना पत्र से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र;
  - (ग) राजनियक प्ररााली से तात्पर्य है सम्बन्धित देशों के मिशनों के माध्यम से ;
  - (घ) धारा से तात्पर्य है अधिनिय की कोई धारा;
  - (ङ) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं के वही अर्थ होंगे जो उनको उस अधिनियम में दिये गये हैं।
- 3. प्रार्थना पत्र का प्ररूप— बंदी द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उसके स्थानांतरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र साधारण कागज पर इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 में तथा उस प्ररूप में वर्णित प्रक्रिया एवं अनुदेशों के अनुसरण में दिया जायेगा।
- 4. प्रार्थना पत्र अग्रेषित करने के साधन— धरा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अन्य सूचनाओं के साथ, बंदी का प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा संविदा राज्य की सरकार को सीधे ही या राजनियक प्रणाली के माध्यम से अग्रेषित किया जायेगा।

Vide G.S.R. 93(E), dated 9.8.2004 (Pub. by Gaz. of India, Ex.-ord, Pt.-II, Sec. 3(i), dated 9.8.2004).

<sup>1.</sup> विज्ञप्ति सं. जी.एस.आर. 93(ई) दिनांक 9.8.2004 (भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड (iii) दिनांक 9.8.2004 में प्रकाशित) द्वारा।

- 5. Form of warrants. (1) A warrant under sub-section (1) of section 7 of the Act shall be issued in Form 2 appended to these rules and in accordance with the procedure and instruction set out in that form.
- (2) A warrant under sub-section (2) of section 12 of the Act shall be issued in Form 3 appended to these rules and in accordance with the procedure and instructions set out in that form.

#### FORM-1

#### APPLICATION FOR TRANSFER OF SENTENCED PERSON (Under rule 3)

(Particulars are to be furnished in respect of the sentenced person)

Joint Secretary (CS) Government of India Ministry of Home Affairs New Delhi.

Sir,

I request that I may be transferred to serve remaining period of my sentence in a prison situated in..... the country of my nationality (Name of the contracting State). I hereby furnish the following information for consideration of my application: -

- 1. Name in block letters and nationality
- 2. Name of father/husband
- 3. Full address in the contracting State
- Date of birth/age
- Offence(s) under which convicted
- Name of the Court which convicted
- Date of judgment
- The nature, duration and date of commencement of the sentence
- 9. Name of the prison, where undergoing sentence.
- I, ...... (Name in full along with nationality and in block letters), son/daughter of Mr./Ms..... declare that the information furnished by me as above is correct, complete and true to the best of my knowledge and belief. I may be held liable for any action if any information furnished by me is found incorrect.

Address

(In case signatory is other than the prisoner)

(Signature of the applicant or of the person entitled to act on behlaf of the prisoner in case of his ill health, mental condition, old age or being minor)

बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) नियम, 2004

5. वारंटों का प्ररूप- (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन वारंट, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 2 में एवं उस प्ररूप में दी गई प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसरण में जारी किया

(2) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वारंट, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 3 में एव उस प्ररूप में दी गई प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसरण में जारी किया जायेगा।

#### ving documents may proved with the application --

#### दण्डादिष्ट (सजा प्राप्त) व्यक्ति के स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र (नियम 3 के अधीन)

[दण्डादिष्ट (सजा प्राप्त व्यक्ति के सम्बन्ध में) विवरण दिये जाने हैं]

संयुक्त सचिव (सी. एस.), gis red sid woled earlba bas villanoitan diw , भारत सरकार, गृह मामलात मंत्रलय, नॉर्थ ब्लॉक, नई-दिल्ली TYARRAW 30 MAOS

मान्यवर,

मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सजा की शेष अवधि काटने के लिये मुझे मेरी राष्ट्रीयता के देश (संविदा राज्य का नाम) ...... में स्थित जेल में स्थानांतरित कर दिया जावे। मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार करने हेतु मैं निम्न सूचना एतद्द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं-

- 1. बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में नाम एवं राष्ट्रीयता
- पिता/पति का नाम, अपने का प्रतिकान बने क्यांबिक of betarily volume of
- संविदा राज्य में पूर्ण पता कार्क (अधिकाराज्य (अभिवादी कि ) श्रीकाराधिक किय .... (as it appears in the pa
- जन्म तिथि/उम्र
- अपराध (अपराधों )जिनके अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया
- न्यायालय का नाम जिसने दोषसिद्व किया
- निर्णय की तिथि
- सजा प्रारंभ होने की तिथि, प्रकृति एवं अवधि
- कारागार का नाम जहां सजा काट रहा है।
- मैं .....(पूरा नाम बड़े अक्षरों में एवं राष्ट्रीयता), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.... घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उक्त सूचना सही है, पूर्ण एवं मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना अशुद्ध पाई जाती है तो मुझे किसी भी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी माना जावे।

(हस्ताक्षरकर्ता, बंदी के अलावा अन्य हो)

(प्रार्थी के हस्ताक्षर या उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जो बंदो के खराब स्वास्थ्य, मानसिक दशा, वृद्धावस्था या अवयस्क होने पर उसकी ओर से कार्य करने हेतु हकदार है।)

979

#### **INSTRUCTIONS**

- 1. The application in original should be sent to Joint Secretary (CS), Government of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi by ordinary/registered post.
- 2. A copy of the application may be delivered to the officer-in-charge of the jail where the prisoner is undergoing the sentence.
  - 3. Following documents may be attached with the application-
  - (a) A copy of the judgment passed against the prisoner.
  - (b) Document indicating that the prisoner is a citizen of the contracting State.
- 4. In case the application is being made by the person entitled to act on behalf of the prisoner, he/she should write his/her full name along with nationality and address below his/her signature.

#### FORM-2

#### FORM OF WARRANT

(Under rule 5[1])

(under sub-section (1) of section 7 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003)

Mr./Ms	the Jail Superintendent/Jailor (or the
	s incharge of the prison where the prisoner
	(Name of the Jail with full address)
	the custody of Mr/Ms (Name
	), son/wife/daughter ofage
address	(as it appears in the prison record) who was
convicted of offences under	er section(s) of
(Name of the legislation un	nder which sentenced) to Mr/Ms
	mation of the authorised person (official) of
	[Place of
	lia i.e. Embassy, Air Port etc.) on
	ested by the Government ofin
	ment between the Government of the Republic
	nt of on transfer of convicted offenders
	(Name of the contracting State) which
came into force on	

- 2. Mr/Ms. ..... (Name of the prisoner) as mentioned hereinabove, would undergo the remaining part of the sentence in contracting State, which he/she would have undergone in India, had he/ she not been transferred out of India.
- 3. In case the prisoner escapes from the custody within India, the prisoner may be arrested without warrant by any person who shall without undue delay deliver such prisoner to the nearest police station and the

1. मूल प्रार्थना पत्र संयुक्त सचिव (सी.एस.), भारत सरकार गृह मामलात मंत्रलय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को साधारण/रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिये।

2. प्रार्थना पत्र की एक प्रति उस जेल के प्रभारी अधिकारी जहां बंदी सजा काट रहा है, को भी दी जा सकती है।

- 3. प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जा सकते हैं-
- (क) बंदी के खिलाफ पारित निर्णय की प्रतिलिपि;
- (ख) यह दर्शाने वाला दस्तावेज कि बंदी संविदा राज्य का एक नागिरक है।
- 4. ऐसे मामले में जहां प्रार्थना पत्र बंदी की ओर से कार्य करने को हकदार व्यक्ति बनाया जा रहा है, तो उसे अपना पूरा नाम, मय राष्ट्रीयता एवं पता उसके हस्ताक्षरों के नीचे लिखना चाहिये।

#### (i) Joint Secretary (CS), NSTPPR of Home Affairs, Covernment of वारण्ट का प्ररूप

कामामान कर कारा A (इस के विषय (देखे नियम 5(1)) अपनिकाल कार्का (स)

[बंदियों के संप्रत्यार्तन अधिनियम, 2003 की घारा 7 की उपघारा (1) के अन्तर्गत] श्री/श्रीमती .....जेल सुपरिन्टेडेन्ट/जेलर (अथवा जहां बंदी कारावास उसके पूर्ण पते सहित) को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... (बंदी का नाम व उसकी राष्ट्रीयता) पुत्र/पत्नी/पुत्री ................उम्र ......... पता .....(जैसा कि यह कारागार के अभिलेख में है), जिसे ..... (विधान का नाम) जिसके अधीन सजा दी गई) की ...... धारा (धाराओं) के अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया था, को ......श्री/श्रीमती ..... में बंदी को सौंपने के स्थान यथा राजदूतावास हवाई अड्डा आदि) पर......(सौंपने की दिनांक) सौंपे जैसा कि ...... देश की सरकार ने भारत संघ की सरकार एवं देश की सरकार से हुये इकरार / व्यवस्था के अन्तर्गत प्रार्थना की है और यह इकरार/व्यवस्था भारत सरकार तथा..... देश की सरकार (संविदा सरकार का नाम) के मध्य भारत में प्रविष्ट दोषसिद्ध अपराधियों के स्थानांतरण हेतु दिनांक ..... को प्रभावशील हुआ है।

- 2. श्री/श्रीमती ......(बंदी का नाम), जो एतद्द्वारा उपरोक्तानुसार वर्णित है, अपनी शेष अवधि की सजा संविदा सरकार में उसी प्रकार काटेगा जैसा कि यदि उसे भारत के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता तो वह भारत में काटता।
- 3. बंदी यदि भारत में सुरक्षा से बच कर निकल भागता है तो इस दशा में उसे बिना वारंट के किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है जो ऐसे बंदी को बिना देरी किये निकटतम पुलिस

बंदियों (कैदियों) का संप्रत्यावर्तन (स्वदेश वापसी) नियम, 2004 थाने को सौंपेगा तथा ऐसे गिरफ्तार किया गया बंदी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 के अन्तर्गत

कार्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी

भूगतता यदि ऐसे बंदी को धारा 8 के अधीन नहीं सौंपा जाता।

suthorised Officer of the State Government

श्री/श्रीमती .....

अपराध कारित करने का दोषी होगा एवं भारत में ऐसे दण्ड के लिये कारावास का दायी होगा जो वह

(संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणी का नहीं होगा)

224 of the Indian Penal Code and shall also be liable for such sentence of imprisonment in India which he would have to undergo if the delivery of custody of such prisoner had not been made under section 8.

> Authorised Officer of the State Government (Not below the rank of a Joint Secretary)

Го	. 3. प्रार्टमा एवं के साथ विरम्प दस्तावेज संसाद किये जा सम्त्री हैं। ह
	Shri/Smt
	(Designation)
	Address
	Address
	बुसारी, तो उसे अपना मुख जान अब राष्ट्रीमदार एवं पता जनने करवामार के नीने लिएना म
	Copy to
	(i) Joint Secretary (CS), Ministry of Home Affairs, Government of India.
	(ii) Joint Secretary (CPV), Ministry of External Affairs, Government of India.
	(iii) Secretary, Department of Prison
	Government of(State in which imprisoned)
	(iv) Charged-Affairs, Embassy(Name of the contracting State).
	(v) Mr/Ms
	FORM-3
	FORM OF WARRANT
	(Under rule 5[2])

Repatriation of Prisoners Act, 2003)

Address (official)....., is hereby

directed to receive the custody of Mr/Ms .....(Name and nationality of the prisoner) Address.....

at ...... (as it oppears in the better of contracting State)

at...... (Place of receiving of the prisoner outside India by

authorised official) and to hold the prisoner for bringing him to India

from the place of receiving. The custody of the said prisoner shall be handed over by the receiving officer to the officer-in-charge of...... (Name and address of the prison) where the prisoner has to serve his/

her remaining part of the sentence in India as per the existing law for

the offence committed by him/her in the contracting State.

Mr./Ms. .... Designation....

(under sub-section (2) of section 12 of the

प्रतिलिपि-

(1) संयुक्त सचिव (सी.एस.) गृह मंत्रलय, भारत सरकार (2) संयुक्त सचिव (सी.पी.वी) विदेश मंत्रलय, भारत सरकार (3) सचिव, जेल विभाग ...... सरकार (राज्य जहां कारावासित है) (4) चार्ज-डी-अफेयर्स राजदूतावास......(संविदा राज्य का नाम) edi रेट क्या पता (शासकीय) .................. (शासकीय) (vi)

> वारण्ट का प्ररूप (देखे नियम 5(2))

[बंदियों के संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

श्री/श्रीमती ..... पद नाम ..... पता (शासकीय) ..... को एवं राष्ट्रीयता) पता ......(जैसा कि यह संविदा राज्य के पत्र में अंकित है) को ... ...... (स्थान) जहां बंदी को प्राधिकृत अधिकारी भारत के बाहर प्राप्त करेगा) प्राप्त करने के स्थान से भारत में लाने के लिये बंदी को पकड़ेगा/रखेगा। उस कथित बंदी की अभिरक्षा, प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्रभारी अधिकारी (कारागार का नाम व स्थान) को सौंपेगा जहां बंदी अपनी सजा भारत में उस विद्यमान कानून के अन्तर्गत भुगतेगा, जहां उसने संविदा राज्य में अपराध कारित किया है।

2. In case the prisoner escapes from the custody, the said prisoner may be arrested without warrant by any person who shall without undue delay deliver such prisoner to the officer-in-charge of the nearest police station and the prisoner so arrested shall be liable for committing an offence under section 224 of the Indian Penal Code or the applicable law depending upon the place of escape and shall also be liable to be dealt with in accordance with this warrant.

Authorised Officer of the State Government (Not below the rank of a Joint Secretary)

Го		(Perignation)
	Shr	i/Smt
	*****	(Designation)
	Add	dress
	Cop	by to
	(i)	Joint Secretary (CS), Ministry of Home Affairs, Government of India.
	(ii)	Joint Secretary (CPV), Ministry of External Affairs, Government of India.
	(iii)	Secretary, Department of Prison
		Government of(State in which imprisoned)
	(iv)	Charged-Affairs, Embassy(Name of the contracting State).  Address (official)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2. यदि बंदी अभिरक्षा से निकल भागता है तो ऐसे मामले में वह बंदी किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और वह व्यक्ति उस बंदी को निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को बिना किसी अनावश्यक देरी के सौंप देगा और इस प्रकार गिरफ्तार किया गया बंदी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 224 या निकल भागने के स्थान पर लागू कानून पर निर्भर एक अपराध कारित करने के लिये दायी होगा और इस वारंट के अनुसरण में बरते जाने का भी दायी होगा।

राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी (संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणी का न हो)

ता	As Ast to provide for the removal from one State to equitive of pert
141*	में, जन १० पर्यापात के डाक्ट इसके सकता किया क्षाना की की की कार्य का कर के किया है के किया है किया है किया है क
	Be it enacted by Parbamer (ap) follows:
	hardbord hitler and extent - (b) Chis Ach may be called Air line of Brisances Act 1980, and matel
	to the sales disa strated to fusing a tensor by
	Section 29 of the Prisoners Act, 1900, inter alia provides for the tre :Pinnink a
	(1) संयुक्त सचिव (सी.एस.) गृह मंत्रलय, भारत सरकार
	(2) संयुक्त सचिव (सी.पी.वी) विदेश मंत्रलय, भारत सरकार

(3) सचिव, जेल विभाग (4) चार्ज-डी-अफेयर्स राजदूतांवास ..........(संविदा सरकार का नाम) पता (शासकीय) ......

revenue jurisdiction:

3[(b)"Government" or "State Government", in relation to a Union

(a) "court" includes any officer lawfully exercising civil, criminal or

This Act, as in fonce in the territories to which it generally extends, is extended to and shall be in force in, the Kohim district and the Mokokchung district — See the Kohim and Mokokchung Districts (Transfer of Prisoners) Regulation, 1961 (7)

he Act now extends to the State of Jammu and Kashmir by virtue of Act 25 388 (w.e.f. 15.8.1968).

t bas been extended to the Union Territory of Pondicherry by Act 25 of 198

c. 2 (w.e.f. 1.3.1969). It has also been extended to the Union Territory of Gos mean and Diu by GSR 430, pub. in Gaz. of India, Pt. II, Sec. 3(i), and to the

it has been extended to Sikkim-See S.O. 208(E)/1975, Gaz, of India, Ex-ord, Pt.

leted by 25 of 1968, sec. 2 words "except the State of Jammu and Kashmir". (w.e.f.

ubs, by the A.O. (No. 3) 1956, for clause (b) (w.e.f. 1.11.1956).